

आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर में अवैध कब्जों पर निगम की नजर, बरामदों में किए गए अतिक्रमण की मार्किंग

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में अवैध कब्जों एवं अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की दिशा में पहल की जा रही है। सुपेला स्थित आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर में अवैध रूप से कब्जा किए गए बरामदों की मार्किंग की गई। निगम प्रशासन द्वारा व्यावसायिक परिसर के सार्वजनिक उपयोग के बरामदों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में यह कार्रवाई की गई है आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर सुपेला शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक खरीदारी एवं अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। परिसर में दुकानों के सामने बने बरामदों का उपयोग आम नागरिकों एवं ग्राहकों के आवागमन के लिए किया जाता है। इन बरामदों में अवैध रूप से कब्जा होने से लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है तथा व्यावसायिक परिसर की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। निगम आयुक्त के आदेश पर निगम अमले द्वारा आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण कर अवैध रूप से कब्जा किए गए बरामदों को चिह्नित करते हुए मार्किंग की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक आवागमन के लिए निर्धारित स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराना तथा नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख बाजारों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यवस्थित आवागमन, स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर में बरामदों पर किए गए अवैध कब्जों को चिह्नित किया गया है, ताकि आगे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए बरामदों पर अवैध कब्जे से आम नागरिकों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। निगम द्वारा व्यापारियों एवं दुकानदारों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक आवागमन के लिए निर्धारित स्थानों पर अतिक्रमण न करें तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने में निगम प्रशासन का सहयोग करें।

